प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated---09-06-2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.275 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for widening of Diwalikhal- Bhararisen motor road in two lane in Chamoli district falls within jurisdiction of Diwalikhal,Parwadi, Sarkot, Bharadisain villages in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
चमोली

57

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No--- --

Dated-09-06-2016

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guide lines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.275 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for widening of Diwalikhal- Bhararisen motor road in two lane in Chamoli district falls within jurisdiction of Diwalikhal,Parwadi Sarkot, Bharadisen village in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried
out for the entire 1.275 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Diwalikhal,Parwadi Sarkot, Bharadisain villages is enclosed.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

चमोली

(58)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman I.A.S deputy commissioner,.Chamoli.. on dated 09-6-2016 at time ..11.00 Hrs.......... in which application claiming rights in Diversion area measuring 1.275 hect for the widening of Diwalikhal- Bhararisen motor road in two lane forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Diwalikhal,Parwadi, Sarkot, Bharadisain sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.Chamoli

Dated:..09.:06.:2016

09.06.16
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिलाधिकारी
चमोली

(59)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत दिवालीखाल भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन का कार्य के विस्तार हेतु 1.275 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.00 किमी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत दिवालीखाल भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन का कार्य के विस्तार हेतु 1.275 है० वन भूमि (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, ... 0.00 है० सिविल सोयम वन भूमि, 1.275 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.275 है० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– गैरसैंण) की दिनांक 31-05-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक प्रकाश ....., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विवेक प्रकाश उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष
2– श्री पी० एस० ... उप प्रभागीय वनाधिकारी– वन क्षेत्राधिकारी ... ———— सदस्य
3– श्री महेन्द्र ... सिंह —सहायक समाज कल्याण अधिकारी– ———— सदस्य / सचिव
4– श्री ———— बी०डी०सी० क्षेत्र ———— सदस्य ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिवालीखाल भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन कार्य के विस्तार परियोजना हेतु 1.275 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत दिवालीखाल भराड़ीसैंण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तन का कार्य के विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु 1.275 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण जिला-चमोली
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से ड़बल लेन में परिवर्तन का कार्य के विस्तार हेतु 1.275 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.00 किमी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – परवाड़ी
तहसील–गैरसैंण, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से ड़बल लेन में परिवर्तन का कार्य के विस्तार हेतु 1.275 हे0 वन भूमि (हे0 आरक्षित वन भूमि, हे0 सिविल सोयम वन भूमि; हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत – परवाड़ी – द्वारा दिनांक 8/2/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गैरसैण द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम – परवाड़ी – के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/–
	सरपंच वन पंचायत परवाड़ी गैरसैण [चमोली]
ग्राम सचिव मुहर सहित	ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत परवाड़ी
ह0 (भोलादत्त)
दि0 3/2/16
वि0 ख0 गैरसैण (चमोली)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से ड़बल लेन में परिवर्तन का कार्य के विस्तार हेतु 1.275 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.00 किमी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम मरोडा
तहसील–गैरसैंण, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत दिवालीखाल–भराडीसैण मोटर मार्ग का सिंगल लेन से ड़बल लेन में परिवर्तन का कार्य के विस्तार हेतु 1.275 हे0 वन भूमि (हे0 आरक्षित वन भूमि, हे0 सिविल सोयम वन भूमि; हे0 वन पंचायत भूमि. अर्थात कुल हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मरोडा द्वारा दिनांक 3/2/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गैरसैण द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मरोडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित